किशनगढ़

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आर्थिक ज्ञीमा(?) रिमाण्ड 29.1.2020

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दोद्र(?) पुत्र श्री बन्ना मीणा, नि० फरासिया, तहसील किशनगढ़ (अजमेर) बनाम शामा देवी w/o स्व० श्री कान्ना मीणा, निवासी ग्राम फरासिया, तह० किशनगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज काश्त अपील नम्बर 29/2020 सन् 2020 (किशनगढ़)

2020/00029 (मदनगंज)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री धनराज शर्मा, एड०श्री	
29.1.2020	यह अपील श्री धनराज शर्मा एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 27.01.2020, प्रकरण संख्या 21/2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा व प्रत्यर्थीगण संख्या 01से 44 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की आराजी ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 310 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण संख्या 01से 30 का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में खातेदार के रूप में इन्द्राज है एवं अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण संख्या 31 से 44 के पिता के फौत होने से व विरासत नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण पक्षकार कायम किया गया है जो उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया एवं वाद पत्र के साथ में धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया व निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित आराजी में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अपीलांट के तथ्यों की तरफा गौर न करके अन्तरिम आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे है क्योंकि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट सहखातेदार है एवं जब तक विवादित आराजी का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर हक, हिस्सा स्वत्व निहित है एवं कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहा है एवं अपीलांट का ही निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा, रूकावत व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट केवल मात्र अपीलांट को हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त आराजी पर आकर धमकी दे रहे है एवं उपरोक्त भूमि का अन्य दीगर व्यक्तियों को बिना विधिक बंटवारें के बैचान करने पर आमादा है इस कारण रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावें कि उपरोक्त वर्णित आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में किसी की बाधा कारित नहीं करने एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा में रेस्पोडेन्टस को	निरन्तर......

राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किशनगढ़

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

29/2020/225 धोरू बनाम रामा देवी वगैरह

तारीख पेशी	2020/00029 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री धनराज शर्मा, एडवोकेट श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
निरन्तर---	पाबंद फरमाया जावें कि अपीलांट के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तातंरण, शक्त परिवर्तन नहीं करने, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूँकि अपीलांटस/वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व नक्शें, जमाबंदी अनुसार बंटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी को रहन, बय व हस्तांतरण नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खाता संख्या 310 वर्तमान खसरा नम्बर 322 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा वाकै ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** ह० 29/1/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	